FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बिजौलियां

प्रभूलाल .... बनाम .... दीतर

किस्म मुकदमा – इजराय आदेश – 21 नियम–11 .... नम्बर .... 24 .... /2024

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/3 /2024	इजराय सीगे से बाद जांच पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेज पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 15/5/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/5/24	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 30/5/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
/5/24	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/6/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
/6/24	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/7/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 22/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	
29/7/24	पत्रावली तहसीलदार बिजौलिया की पालना प्राप्त, जिसे संलग्न किया गया। डिक्रीदार को कब्जा सुपुर्द करना बताया गया। पत्रावली को पालना होने के कारण बंद किया जाता है।	

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 1050 दिनांकः– 18 / 07 / 2024

प्रेषिति :–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ

विषय :– इजराय प्रकरण 24 / 2024 की पालना के सम्बंध में।

प्रसंग :– श्रीमान् के पत्रांक / रीडर / 2024 / 304 दिनांक 14.03.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि इजराय प्र0सं0 24 / 2024 की पालना में ग्राम ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा में स्थित खसरा नं0 523 / 2 रकबा 0.1214 है0 मे से 0.0971 है0 भूमि में इजराय में वर्णित अनुसार वादी श्री प्रभुलाल पुत्र मोडूलाल धाकड निवासी थडोदा की भूमि पर प्रतिवादीगणो के द्वारा काबिज भूमि का कब्जा वादी को संभला दिया है।

अतः भू.अ.नि. एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा सलंग्न कर पालना रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(इमरान खान)
तहसीलदार बिजौलिया

RajKaj Ref
9050903

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by I[illegible]n Khan
Designation : Tehs[illegible]r
Date: 2024.0[illegible]:56:13 IST
Reason: Approv[illegible]

PD ki palna latter 94

श्रीमान तहसीलदार साहब
बिजौलियां

विषय :- इजराय सं. 24/2024 की पालना प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक/राप्प./24/448 दि. 19/3/2024 के क्रम में।
महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बिजौलियां के इजराय प्र. सं. 24/2024 मूल वाद सं. 48/2022 में पारित निर्णय अनुसार ग्राम संता उर्फ छोटा बडोदा की आ.नं. 523/2 रकबा 0.1214 है. में से 0.0971 है. भूमि से प्रतिवादीगण छीतर पुत्र रामा धाकड, कैलाश पुत्र मोतीचन्द धाकड, सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द धाकड, पप्पू पुत्र हीरालाल धाकड निवासियान बडोदा को बेदखल कर, कब्जा वादी प्रभूलाल पुत्र मोडूलाल धाकड नि. बडोदा को सुपुर्द करने के आदेश हुए थे। आदेश की पालना में दिनांक 07.6.2023 को मौके पर कब्जा सुपुर्दगी के वक्त प्रतिवादीगणों ने कब्जा हटाने के लिए दस दिवस का समय चाहा था। वादी व प्रतिवादीगणों की सहमति से समय दिया गया था। परन्तु उक्त दस दिवस की अवधि के उपरान्त भी प्रतिवादीगणों द्वारा कब्जा नहीं हटाने से दिनांक 04.7.2024 को पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में जे. सी. बी. मशीन से प्रतिवादीगणों द्वारा चुनाई की गई पत्थरों की कोट को हटाकर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया है। मौका फर्द की प्रति संलग्न कर पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न :- मौका फर्द - 2

ILR बिजौलिया खुर्द
16.07.2024